



झारखण्ड सरकार

झारखण्ड ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन समिति  
स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड  
नामकुम, राँची।

फोन नं०- 0651-2261000,2261856-2261002 मेल आईडी- nrhmjharkhand3@gmail.com

पत्रांक: 512 (MD)

ज्ञापांक : 02/6/2015

आज दिनांक 02.06.2015 को अपराहन में राज्य आर० सी० एच० कार्यालय, नामकुम, राँची में अधोहस्ताक्षरी के अध्यक्षता में झारखण्ड राज्य एन०आर०एच०एम० अनुबंध कर्मचारी संघ के कतिपय मांगों पर विचार करने हेतु अभियान निदेशक के अध्यक्षता में बैठक आहुत की गई, जिसमें निम्नांकित पदाधिकारी एवं संघ के प्रतिनिधि शामिल हुए :-


क्रम	नाम	पदनाम
1.	श्री आशीष सिंहमार, भा०प्र०से०	अभियान निदेशक
2.	डॉ० सुमन्त मिश्रा	निदेशक प्रमुख
3.	आसिफ एकराम	प्रशासी पदाधिकारी, JRHMS
संघ की ओर से शामिल प्रतिनिधि		
4.	श्री बादल,	माननीय विधायक, जरमुण्डी, दुमका
5.	राहुल प्र० सिंह-प्रदेश अध्यक्ष, श्रीमती. सुप्रिया कुमारी, अमित कुमार, रविकुमार भारद्वाज, प्रिया प्रियदर्शी	

उक्त बैठक में निम्नांकित बिन्दुओं पर चर्चा की गई :-

क्रम	माँग	चर्चा के बिन्दु
1.	बहुदेशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को अविलंब समायोजित किया जाए।	पदसृजन हेतु संबंधित संचिका पदवर्ग समिति को विभाग द्वारा भेज दी गई है। पदसृजन के पश्चात MPW (M) के संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।
2.	ANM/GNM सहित अन्य पारामेडिकल कर्मियों को अविलम्ब नियमित किया जाए।	<ul style="list-style-type: none"> <li>• वेतन वृद्धि का प्रस्ताव एन०आर०एच०एम० झारखण्ड द्वारा भारत सरकार को भेजा गया है।</li> <li>• पुनः भारत सरकार से वेतनवृद्धि हेतु पत्राचार किया जायेगा।</li> <li>• संबंधित कर्मियों के नियमितिकरण/विभाग में स्वीकृत बल के रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्तियों में weightage देने हेतु विभाग को अनुशंसा की जायेगी।</li> </ul>
3.	अन्य सभी एन०आर०एच०एम० कर्मियों को अविलम्ब नियमित किया जाए।	<ul style="list-style-type: none"> <li>• तदैव</li> </ul>
4.	संघ के सदस्यों के उपर किये गये दमनात्मक कार्रवाई को अविलम्ब वापस लिया जाए।	संबंधित संचिका को सक्षम स्तर पर यथानियम उचित निणायार्थ भेजा जायेगा।
5.	पूर्व में किये गये बिन्दुवार सभी समझौते को अविलम्ब लागू किया जाए।	संघ द्वारा पृथक रूप से संबंधित माँगों से अवगत कराया जायेगा।



6.	सहिया के मानदेय में वृद्धि करते हुये उसका भुगतान अविलम्ब किया जाए।	सहियाओं का लम्बित भुगतान करने हेतु सिविल सर्जनों को तीन बार निदेश जारी किया गया है यदि इसके बाद भी कोई मामला उनके संज्ञान में आता है तो सिविल सर्जन को सूचित करें।
----	--	--

  
 2/6/15  
 अभियान निदेशक

ज्ञापांक : 512 (MD)

दिनांक : 02/6/2015

प्रतिलिपि :

1. माननीय मंत्री के आप्त सचिव, स्वा. चि. शि. एवं परि. कल्याण विभाग, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रधान सचिव, स्वा0 चि0 शि0 एवं परि0 कल्याण विभाग, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
3. निदेशक प्रमुख, स्वा0 से0 / प्रशासी पदाधिकारी, JRHMS को सूचनार्थ प्रेषित।
4. श्री राहुल प्र0 सिंह, प्रदेश अध्यक्ष, झारखण्ड राज्य एन0आर0एच0एम0 अनुबंध कर्मचारी संघ को सूचनार्थ प्रेषित।

  
 अभियान निदेशक